

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर

पत्रांक: /मान्यता/ ५४६१-६६ /२०१८-१९

तारीख- ०५-०८-२०१८

प्रबन्धक,

काउन कान्वेंट पब्लिक स्कूल, कांधला रोड बुढाना
विकास खण्ड- बुढाना
जनपद- मुजफ्फरनगर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, २०१० के नियम १५ के उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्वी पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक १८.०७.२०१८ में लिए गये निर्णय के अनुपालन में, मैं काउन कान्वेंट पब्लिक स्कूल, कांधला रोड बुढाना, विकास खण्ड बुढाना, जनपद- मुजफ्फरनगर को दिनांक १८.०७.२०१८ से दिनांक १७.०७.२०२१ तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा ८ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किया जाने के अधधीन हैं:-

१- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

२- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, २००९ (उपबन्ध-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २०१० (उपबन्ध-२) के उपबंधों का पालन करेगा।

३- विद्यालय कक्षा १ में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

४- प्रैरा तीन से निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

५- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।

६- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

- I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अधधीन नहीं किया जाएगा।
- III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

- IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन, विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और।
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7-विद्यालय सुमिचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्ननुसार है:-

➤ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	12195 वर्ग मी०
➤ कुल निर्मित क्षेत्र	743 वर्ग मी०
➤ क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	11452 वर्ग मी०
➤ कक्षाओं की संख्या	16 कक्ष
➤ प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष	है।
➤ बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
➤ पेयजल सुविधा	है।
➤ मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई	—
➤ बाधारहित पहुँच	है।
➤ अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए।

प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।





- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक MZN-B 01/2018 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16- सॉफ्टवेयर के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- विद्यालय के उपलब्ध स्थान के कक्षा-कक्षों में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट तक की सीमा तक ही प्रवेश सुनिश्चित करें।
- 18- संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(दिनेश कुमार यादव)
02/08/18
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

- पृ0सं0/मान्यता/ — /2018-19 तददिनांक।
- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशांत गंज, लखनऊ।
 - 2- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), इलाहाबाद।
 - 3- सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
 - 4- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
 - 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
 - 6- कार्यालय पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।